

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये
भूमि अधिकारी
तहसीलदार जैतारण।

बनाम

प्रतिवादी :-

1. मैना बिल्डर्स एण्ड रियलटर्स प्रा.लि. जरिये
डायरेक्टर गजेन्द्र पारख पुत्र विजयराज पारख
ओसवाल सा. जैतारण हाल मुकाम हैदराबाद
मैना चैम्बर्स 1&2 338/A/2Nd फ्लोर फुलबाग
ST.NO. 6 OPP कृपा होमियो क्लीनिक गगन
महल रोड डोमल गुडा हैदराबाद

मु0न0 :रा0प्रा0पत्र स0: 44/2021

राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व
हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुब्दई व मिनजानिब मुब्दायलाह
श्री विजयराज, अधिवक्ता, प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत
धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखुबी साबित नहीं होने एवं कोई
कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर
निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
.....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29.10.2024 को जारी
किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुब्दई	रूपये	पैसे	मुब्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00		स्टाम्प वकालतनामा	5.00	
स्टाम्प वकालतनामा	0.00		स्टाम्प अर्जी	4.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	0.00		मिजान:-	9.00	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया
हो, नहीं दर्ज किया जावे ।